संख्या 605(1)18(1)/2006

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

राजस्व विभाग देहरादूनः दिनांक 27 जनवरी, 2006

विषय राजस्व विभाग के उन्नयन एवं भू लेखों के अद्यावधिक किये जाने की योजना के अन्तर्गत उत्तरांचल इन्फोरमेशन सिस्टम नामक सॉफटवेयर क्रय करने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 605/18(1)/2005 दिनांक 21 जनवरी, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत सी0डी0 हिल्ट्रॉन, जो उत्तरांचल सरकार का उपक्रम है, के माध्यम से क्रय की जायेंगी।

2— अतः तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2— आयुक्त कुमॉयू /गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।
3— कोषाधिकारी, देहरादून।
4— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5— वित्त अनुभाग—5
6— निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या–583/IX (33)/ अनुरक्षण/B 200 / 2005–2006

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा,
सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन
उत्तरांचल, देहरादून।

नागरिक उड्डयन विभाग — देहरादून:दिनांक 31 जनवरी, 2006

विषयः– राज्य के लिये क्रय किये गये बी 200 वायुयान के स्वदेस में आगमन के समय नई दिल्ली में कस्टम क्लेरेन्स तथा प्रथम 100 घंटों के **C of R** तथा **C of A** एवं **Aeromobile Licence** आदि के सम्बन्ध में सुविधाओं को प्राप्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सभी पहलुओ पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा क्रय किये गये एक नये सुपर किंग एअर बी–200 वायुयान के अमेरिका से फैरी कम्पनी के माध्यम से स्वदेश आगमन पर नागरिक उड्डयन विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत वायुयान से सम्बन्धित Certification of de-registration and registration, conversion of export certificate of Airworthiness, obtaining of Aeromobile licence, Painting of registration marks and minimum of 100 hrs inspection schedule को सम्पादित करने हेतु चूंकि राज्य सरकार की वर्तमान में अपनी कोई अवस्थापना सुविधा नई दिल्ली में उपलब्ध नहीं है और चूंकि दिल्ली में दो ही फर्म डी०जी०सी०ए० द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और उक्त दो फर्मों में से मात्र एक ही फर्म द्वारा अपनी दरें उपलब्ध कराई गई हैं और इस आधार पर कि वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग के किंग एअर बी–200 वायुयान के सम्बन्ध में उक्त प्रकार के कार्य मै० इण्डामर कम्पनी प्रा० लि०, नई दिल्ली द्वारा सम्पादित किये गये थे। अतः पंजीकृत दो फर्मों में से मै० इण्डामर कम्पनी प्रा० लि०, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित कोटेशन दिनॉक 12–01–2006 के आधार पर निम्न विवरणानुसार टैण्डर/कोटेशन विषयक नियमों को शिथिल करते हुये कार्य की समयबद्धता को दृष्टिगत रखते हुये विशेष परिस्थितियों में उक्त फर्म से कार्य कराये जाने हेतु रू० 4.50 लाख (रूपये चार लाख पचास हजार) मात्र की धनराशि एकमुश्त आधार पर एक बार के लिये निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निवर्तन पर रखी गई धनराशि से भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1-	Charges for Customs Clearance of the aircraft in Delhi is	Rs. 1,50,000/-
2-	Charges for Initial 100 hours inspection, obtaining C of R, C, of A, Aeromobile Licence, Painting of Indian Registration	Rs. 3,00,000/-
	Total :	**Rs. 4,50,000/-**

2— उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान समस्त कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त ही मुख्य अभियन्ता द्वारा इस सम्बन्ध में कार्य सन्तोषजनक ढंग से सम्पन्न होने का प्रमाण–पत्र एवं इसके सत्यापन कर दिये जाने के पश्चात् ही सम्बन्धित फर्म को शासनादेश संख्या–46/02/IX(1)/CA/बजट/2005–06 दिनांक 10 मई, 2005 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गई धनराशि में से ही किया जायेगा।

3— व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों/निर्देशों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की ली जाये। मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। यदि भुगतान के बाद कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

4— व्यय उसी कार्य के लिये किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्यय के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 3053–नागर विमानन 80–सामान्य– आयोजनेतर 003– प्रशिक्षण तथा शिक्षा 03–नागरिक उड्डयन–00 की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 120/XXVII(2)/2005 दिनॉक 31 जनवरी,2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)
सचिव

संख्या–523 /IX (33)/ अनुरक्षण/B 200/2005–2006,समदिनॉकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेरॉय मोटर बिल्डिंग, माजरा,देहरादून ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3. वित्त अनुभाग–2
4. गार्ड फाइल ।
5. एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा
सचिव